कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

सचिव, पशुपालन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड़ शासन के ई–पत्र संख्या 36254/XV-1/23/7(14)22 दिनॉक 26 जून, 2023 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट (प्रेमनगर) में निराश्रित गोवंश के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के प्रबन्धकीय कार्यो हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रति पशु प्रतिदिन की दर से कराये जाने हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक संस्थाओं से अनुरोध है कि वें अभिरूचि की अभिव्यक्ति की शर्ते व नियमों का अध्ययन **मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय** से किसी भी कार्यदिवस या पशुपालन विभाग की वेब साईट **https://ahd.uk.gov.in** से प्राप्त कर सकते है।

विस्तृत प्रस्ताव कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय कक्ष सं0 01 में दिनॉक 30.05.2025 को अपरान्ह 4.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

कार्यालय– मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक 1156-59/पशुधन–1/गोसदन–अभिरूची की अभिव्यक्ति/2025–26 दिनॉकः– 09 मई, 2025

1– सम्पादक, अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों मे निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– सम्पादक, दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों मे निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना वेब साईट **https://ahd.uk.gov.in** पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

4– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

9/5/25

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/तकनीकी सदस्य,
जनपद स्तरीय समिति, देहरादून।

कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून।

विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट की गौशाला में आश्रित पशुओं के भरण पोषण एवं सेवा सुश्रुषा के प्रबन्धिकीय कार्यो हेतु आवेदन की शर्ते व नियमः–

- आवेदन संस्था द्वारा विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट की गौशाला में आश्रित पशुओं का भलीं–भॉतिं भरण–पोषण व सेवा सुश्रुषा एवं घायल बीमार पशुओं की देखभाल व उपचार आदि का कार्य किया जायेगा।
- विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट (प्रेमनगर) की गौशाला के संचालन हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होगें जो कि:–सोसाईटी रजिस्ट्रशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा अलाभकार गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ संस्था हो अथवा पशुपालन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा कानून के तहत रजिस्ट्रड पब्लिक ट्रस्ट हों।
- आवेदक संस्था को कम से कम 50 गोवंश पशुओं की गौशाला चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवेदक संस्था को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से ब्लेकलिस्ट नहीं है।
- आवेदक संस्था के पास पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- आवेदक संस्था द्वारा विगत 01 वर्ष की फर्म की बैलेंस शीट (Audited Balance Sheet) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- विकासखण्ड सहसपुर में तहसील विकासनगर अन्तर्गत मौजा छरबा एवं विकासखण्ड सहसपुर में तहसील सदर अन्तर्गत मौजा आरकेडियाग्रान्ट (प्रेमनगर) की गौशाला में केवल उन्ही पशुओं को शरण दी जायेगी जिन्हे नगर निगम, नगर पलिका अधिशासी अधिकारी जिला पंचायत अथवा पशुपालन विभाग द्वारा पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया हों। संस्था द्वारा अपने स्तर से किसी भी पशु को शरण नही दी जायेगी।
- आवेदक संस्था किसी भी पशु को गौशाला के बाहर क्रय/विक्रय/अन्य संस्था को स्वयं से नही दे सकेगी। पशुओं का विक्रय/एडोप्शन/नीलामी/चालान की कार्यवाही जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
- आवदेक संस्था द्वारा विधिमान रीति से मृतक गोवंश का निस्तारण स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। प्रत्येक पशु का मृत्यु प्रमाण–पत्र क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पशुओं की संख्या एवं मृत्यु सम्बन्धी अभिलेख आवेदक संस्था द्वारा अनुरक्षित करना होगा।
- प्रत्येक पशु की टेगिंग (पहचान) पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा की जायेगी व मृत पशु का कर्ण छल्ला आवेदक संस्था द्वारा पशुचिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
- अनुबंध हो जाने के उपरान्त भी गौशाला के संचालन हतु अन्तिम निर्णय जिला स्तरीय समिति देहरादून में निहित होगा।
- समस्त आवेदन संस्था, उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित नियमावलियों/संशोधनों तथा तदक्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
- संस्था के प्रस्तावानुसार निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकार गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्व होगी। तदक्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों को गोवंश को शरण दिये जाने के क्रम में सहयोग करने हेतु बाध्य होगी।
- आवेदक संस्था द्वारा गौशाला में न्यूनतम कवर्ड एरिया (40 वर्ग फीट प्रति गोवंश) के आधार पर निर्धारित गोवंशीय पशुओं को रखने/स्वीकार करने हेतु बाध्य होगी।
- मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को भरण पोषण एवं निर्माण मद में दिये गये राजकीय अनुदान का समायोजन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से सत्यापित लेखा परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- आवेदक संस्था द्वारा गोवंश के उचित भरण–पोषण/देख–रेख एवं प्रबन्धन तथा अन्य समस्त व्ययों को अनुदान मे दी गयी राजकीय सहायता से अतिरिक्त व्यय होने पर गोसदन स्वयं के संसाधनों से अथवा धमार्थ/दान के माध्यम से निवर्हन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- आवेदक मान्यता प्रदत्त पशु कल्याण संस्था से रू0 100/– के अनुबन्ध पत्र में यह लिखित रूप प्राप्त कर लिया जायेगा कि, भरण–पोषण मद में निर्गत की गई राजकीय अनुदान धनराशि का उपयोग गोसदन द्वारा निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण/प्रबन्धन हेतु ही सदुपयोग किया जायेगा।
- शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था का किसी भी समय में निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय द्वारा आवेदक संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए आदेशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की स्थिति में या किसी भी विवाद की दशा में शासन का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसी स्थिति में कभी भी भूमि आवंटन निरस्त कर गोवंश का प्रबंधन/भू अथवा गोसदन परिसर के उपयोग का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु सक्षम होगा। ऐसी दशा मे शासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- मान्यता प्रदत्त गोसदनों में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने पर, क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी की आख्या के आधार पर, गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर शहरी विकास विभाग/जिला पंचायत के माध्यम से विस्थापित किया जायेगा।
- गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जॉच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जॉच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला पुलिस/प्रशासन तथा स्थानीय निकाय द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- विभाग द्वारा गैर सरकारी संस्था को अधिकतम 01 वर्ष हेतु गोसदन संचालन की अनुमति दी जायेगी तद्पोरान्त संस्था की कार्यप्रणाली व गोवंश का रखरखाव संतोषजनक पाये जाने की दशा में अनुबंध को आपसी सहमती एवं सुसंगत नियमो के आधार पर 01–01 वर्ष हेतु बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा। परन्तु गोवंश के रखरखाव एवं अनिमियतता पाये जाने पर विभाग द्वारा कभी भी सहकार्य वापस लिया जा सकेंगा।
- गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदन की भूमि पर कोई भी निर्माण कार्य बिना लिखित अनुमति के करना गैर कानूनी होगा।
- आवेदक संस्था द्वारा अपना प्रस्ताव मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के नाम भेजना आवश्यक है, जो कार्यालय के कक्ष संख्या 01 मे जमा किया जायेगा। किसी अन्य अधिकारी के नाम प्रस्ताव स्वीकार नही किया जायेगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद देहरादून होगा।
- किसी भी शर्त का उल्लघंन पर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।
- इच्छुक आवेदक संस्थायें अभिरूची की अभिव्यक्ति (EOI) हेतु आवेदन की शर्ते व नियमों का अध्ययन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कार्यालय के कक्ष संख्या 01 से किसी भी कार्यदिवस से प्राप्त कर सकते है। इच्छुक संस्थाओं द्वारा अपना विस्तृत प्रस्ताव मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, देहरादून के कक्ष संख्या 01 में दिनॉक 30.05.2025 को अपराह्न 4.00 बजे तक या उससे पहले जमा किया जा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है, यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का एपालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने हेतु सहमत हूँ/है। मैने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये है व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर.....
आवेदक संस्था का नाम.....
संस्था का पताः–.....
मो0न0:–.....

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/तकनीकी सदस्य,
देहरादून